



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272432  
CG-DL-E-11052026-272432

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2282]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

**का.आ. 2373(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 केखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के भरुच जिले के गांव पुनगाम, ता. अंकलेश्वर में प्रसतावित NE-4 (ग्रीन फ़ील्ड) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 324.500 से कि.मी. 262.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (8-लेन / पेव्ड शोल्डर सहित बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, यह भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोईभी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी भरुच, ग्राउंड फ्लोर, कलेक्टर कार्यालय, भरुच-392001 को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

गुजरातराज्य के भरुच जिले में प्रस्तावित NE-4 (ग्रीन फ़ील्ड) के डिजाइन चैनेज कि.मी. 324.500 से कि.मी. 262.00 तक (वडोदरा - मुंबई सेक्शन) के लिए अधीक अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: भरुच		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अंकलेश्वर					
गांव का नाम: पुनगाम					
1	262 (Old-35)	निजी	एग्रीकल्चर	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
2	263 (Old-36/P1)	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
3	361 (Old-21)	सरकारी	एग्रीकल्चर (गौचर)	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
4	362 (Old-31)	सरकारी	एग्रीकल्चर (गौचर)	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
5	422 (Old-31/P)	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (एप्रोच रोड)	0.2125 (हेक्टेयर)	0.2125
<b>Total</b>					<b>0.7575</b>

[फा. सं. NHAI/Surat/15/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2373(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(a) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Eight laning with paved shouder, etc.), maintenance, management and operation of Proposed NE-4 (Greenfield), on the stretch of land from design chainage Km 324.500 to Km 262.000 (Vadodara – Mumabi Section) in the village : Pungam, Tal.Ankleshwar, District of BHARUCH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any, person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, COMPETENT AUTHORITY AND SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER, BHARUCH, Ground Floor, Collector Office, Bharuch-392001 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the NE-4 (Greenfield) the stretch of land design chainage Km.324.500 to Km 262.000 (Vadodara – Mumbai Section) of the Proposed Vadodara – Mumbai Expressway, in the district of BHARUCH in the state of GUJARAT**

State: GUJARAT			District: BHARUCH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Ankleshwar</b>					
<b>Village: Pungam</b>					
1	262 (Old-35)	Private	Agriculture	0.15 (Hectare )	0.15
2	263 (Old-36/P1)	Private	Agriculture	0.005 (Hectare )	0.005
3	361 (Old-21)	Government	Agriculture (Gauchar)	0.15 (Hectare )	0.15
4	362 (Old-31)	Government	Agriculture (Gauchar)	0.24 (Hectare )	0.24
5	422 (Old-31/P)	Government	Non Agriculture (Approach Road)	0.2125 (Hectare )	0.2125
<b>Total</b>					<b>0.7575</b>

[F. No. NHAI/Surat/15/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director